उत्तराखण्ड तकनीकी विश्व विद्यालय, देहरादून

(42)

वित्त समिति की बैठक दिनांक 23–10–2007 के कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्व विद्यालय की प्रथम वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.10.2007 को अपरान्ह 3.00 बजे सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय कक्ष में आयोजित की गयी। इस बैठक में निम्न लिखित अधिकारी उपस्थित थेः–

1. प्रो0 वी0 के0 तिवारी – कुलपति/अध्यक्ष
2. श्री सुब्रत विश्वास – सचिव तकनीकी शिक्षा/सदस्य
3. श्री जी0 के0 द्विवेदी – अपर सचिव तकनीकी शिक्षा
4. श्री एन0 एन0 थपलियाल – अपर सचिव वित्त/सदस्य
5. श्री महाबीर सिंह बिष्ट – वित्त नियंत्रक/सदस्य

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये विश्व विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से समिति को अवगत कराया। तत्पश्चात निम्न लिखित एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

एजेण्डा बिन्दु–1

1. **वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान अनुदान तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त आय तथा व्यय विवरण पर चर्चा तथा आवश्यक अनुमोदन।**

वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान विश्व विद्यालय की वित्त समिति की बैठकें आयोजित न होने की वजह से नियमानुसार आय–व्ययक स्वीकृत नही हुआ था। समिति द्वारा इन वर्षों के आय–व्यय विवरण का अवलोकन किया गया। यद्यपि नियमानुसार विश्व विद्यालय को इन वर्षों के लिये अपना आय–व्ययक स्वीकृत करवाना चाहिये था परन्तु विशेष परिस्थितियों में नया विश्व विद्यालय होने की वजह से स्थापना, मानव संसाधन आदि की प्रारंभिक समस्याओ को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया कि विश्व विद्यालय के लेखा अभिलेखों की वित्तीय वर्ष 2005–2006 तथा 2006–2007 की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट का अध्ययन करने के उपरान्त इस अवधि के आय–व्यय विवरण का आगामी बैठक में अनुमोदन करने पर विचार किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–2

2. **वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 हेतु विश्व विद्यालय के लेखा अभिलेखों की वार्षिक संप्रेक्षा, वार्षिक लेखाबन्दी, आय–व्यय विवरण, बैंक समाधान विवरण तथा बैलेन्स शीट बनाये जाने पर चर्चा तथा अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय के लेखा अभिलेखो की वित्तीय वर्ष 2005–2006 तथा 2006–2007 की अवधि की लेखा परीक्षा, लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी, बैलेंस शीट, आय तथा व्यय विवरण, बैंक समाधान विवरण के बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इन सभी विन्दुओं पर तत्काल नियमानुसार आवश्यक

कार्यवाही की जाय तथा आगामी बैठक में प्रगति से समिति को अवगत कराया जाय।

एजेण्डा बिन्दु–3

3. **विश्व विद्यालय में तैनात अस्थाई कार्मिकों की संख्या तथा उनके वेतन भुगतान पर प्रतिमाह हो रहे व्यय का विवरण तथा विश्व विद्यालय हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने के लिये पदों के सृजन पर चर्चा तथा अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय हेतु कार्मिको के पदों का सृजन तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय में अस्थायी संविदा पर रखे गये कर्मचारियों के प्रकरण पर बैठक में विस्तृत चर्चा हुयी। स्थायी कार्मिकों के पदों के सृजन का प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। अस्थायी संविदा पर रखे गये कर्मचारियों हेतु अपनायी गयी चयन प्रक्रिया आदि पर चर्चा करते हुये इन कर्मचारियों की नियुक्ति की निरन्तरता बनाये रखने पर बैठक में सहमति नही हुयी। इससे भविष्य में होने वाली सम्भावित कानूनी पेचीदिगियों पर भी बैठक में चर्चा की गयी। शासन के प्रतिनिधियों ने कहा कि विभिन्न नियुक्तियों के सम्बन्ध में शासन से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया है जो आपत्तिजनक है। यह भी ज्ञात नहीं है कि नियुक्तियां पारदर्शिता से की गयी हैं अथवा नहीं। अतः निर्णय लिया गया कि विश्व विद्यालय तत्काल एक माह के अन्दर शासन द्वारा अनुमोदित संविदा वेतन की धनराशि पर नियमानुसार उपसुल/अन्य पंजीकृत मानव संसाधन आपूर्तिकर्त्ता एजेंसियों से संविदा के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता तथा पारदर्शिता के आधार पर अपनी न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये कर्मचारियों को अस्थाई संविदा पर रख सकती है। इस प्रकार संविदा पर रखे गये कार्मिको का संविदा वेतन अनुबन्ध के अनुसार सीधे मानव संसाधन आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सी को ही भुगतान किया जायेगा। विश्व विद्यालय संविदा पर रखे गये किसी भी कर्मचारी/पी0आर0डी0 के जवानों को सीधे संविदा वेतन का भुगतान नहीं करेगा।

एजेण्डा बिन्दु–4

4. **वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय प्रस्ताव (वजट) पर चर्चा तथा अनुमोदन।**

बैठक में वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिये प्रस्तुत किये गये आय–व्ययक पर चर्चा हुयी। संविदा पर रखे जाने वाले कर्मचारियों का वेतन "ब्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" मद से करवाये जाने पर सहमति हुयी तथा मजदूरी मद से केवल दैनिक मजदूरी पर रखे गये मजदूरों की मजदूरी की धनराशि ही भुगतान करने पर निर्णय लिया गया। नये वाहनों को क्रय करने के बजाय वाहन किराये पर लेने तथा इस मद में प्रस्तावित धनराशि को "वाहन किराये पर लिये जाने तथा गाड़ियों के अनुरक्षण तथा पेट्रोल/डीजल आदि की खरीद" मद में स्वीकृत करने का निर्णय हुआ। तत्पश्चात प्रस्तावित आय–व्ययक में संसोधन करते हुये **संलग्नक 'क'** के अनुसार कुल 3,53,00000/– रूपये (तीन करोड़ त्रेपन लाख रूपये) का आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिये

पारित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि विश्व विद्यालय द्वारा वित्तीय नियमों, क्रय–नियमों तथा मित–ब्ययता को ध्यान में रखते हुये वजट की धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

40

एजेण्डा बिन्दु–5

5. विश्व विद्यालय हेतु उचित लेखा प्रणाली अपनाये जाने पर चर्चा तथा अनुमोदन।

वित्त नियंत्रक ने समिति को अवगत कराया कि विश्व विद्यालय के वित्त तथा लेखा मैनुवल अभी तक नहीं बन पाये हैं। ऐसी स्थिति में विश्व विद्यालय में एकल लेखा प्रणाली/दोहरी लेखा प्रणाली अपनाये जाने पर वित्त समिति का अनुमोदन लिया जाना है। विश्व विद्यालय के लेखा अभिलेखों के आधार पर प्रतिवर्ष तुलन–पत्र, आय तथा ब्यय विवरण तैयार किये जाने हैं। इन वित्तीय सूचनाओं को बनाने के लिये विश्व विद्यालय के लेखा अभिलेखों का दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित होना आवश्यक है। इसलिये विश्व विद्यालय में दोहरी लेखा प्रणाली प्रारम्भ कर दी गयी है। वित्त नियंत्रक से सहमति ब्यक्त करते हुये बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्व विद्यालय हेतु वित्त एवं लेखा मैनुवल तथा एकाउण्टिग सोफ्टवेयर तैयार किये जांय। इसके लिये निविदायें आमंत्रित करके ब्यवसायिक विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर कार्य करवाये जा सकते हैं।

एजेण्डा बिन्दु–6

6. विश्व विद्यालय द्वारा संचालित अतिथि–गृह की आवश्यकता, किराया, संचालन तथा रख–रखाव आदि व्ययों पर चर्चा तथा अनुमोदन।

विश्व विद्यालय द्वारा किराये पर लिये गये अतिथि–गृह के संचालन पर बैठक में सहमति नहीं हुयी। कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के महत्व पर चर्चा करते हुये प्रश्न–पत्रों, परीक्षा से सम्बन्धित गोपनीय कार्यो, परीक्षा के परिणाम तैयार करने हेतु अलग अतिथि–गृह स्थापित करने की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट किये। परन्तु अतिथि–गृह के नाम पर सदस्य सहमत नही हुये तथा बैठक में चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्व विद्यालय परीक्षा सम्बन्धी कार्यो के लिये "डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर" अथवा किसी अन्य उचित नाम से अतिरिक्त भवन किराये पर ले सकता है परन्तु अतिथि–गृह के नाम पर ऐसे भवन का संचालन नही किया जायेगा। आगामी बैठक में इस बिन्दु पर सही प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर सहमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु–7

7. विश्व विद्यालय कार्यालय हेतु किराये पर लिये गये भवन की व्यवस्था पर चर्चा तथा अनुमोदन।

विश्वविद्यालय के भवन के निमार्ण हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी देहरादून के प्रस्ताव पर ग्राम चकरायपुर में 2–711 हैक्टेयर भूमि के क्रय के प्रकरण पर बैठक में चर्चा हुयी। इस सम्बन्ध में इस भूमि को क्रय करने के प्रस्ताव पर सहमति हुयी तथा विशेष भूमि अध्याप्ति, अधिकारी देहरादून को उनकी मांग के अनुसार अनुमानित प्रतिकर की 10 प्रतिशत धनराशि भुगतान करने हेतु

बजट अनुमोदित किया गया। स्थायी कार्यालय भवन के निमार्ण तक विश्व विद्यालय कार्यालय हेतु नियमानुसार भवन किराये पर लिये जाने के प्रस्ताव का समिति ने अनुमोदन किया।

एजेण्डा बिन्दु–8

8. **विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा, समेस्टर परीक्षा, प्रश्न–पत्रों की संरचना, परीक्षाओं का आयोजन, उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच, परीक्षाफल की घोषणा आदि की प्रक्रिया तथा इन पर होने वाले व्ययों पर चर्चा तथा अनुमोदन।**

वित्त नियंत्रक ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों तथा वर्तमान समय में इन कार्यक्रमों पर खर्च की जा रही धनराशि के व्यय की प्रक्रिया से समिति को अवगत कराया। बैठक में चर्चा के पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिये पारदर्शी नियमावली बनाकर नियमानुसार समितियों का गठन करके मित–व्ययता को ध्यान में रखते हुये व्यय सुनिश्चित किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु–9

9. **विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसिलिंग की प्रक्रिया तथा इसके आयोजन पर होने वाले व्यय पर चर्चा तथा अनुमोदन।**

इस बिन्दु पर बैठक में विस्तृत चर्चा हुयी तथा निर्णय लिया गया कि काउंसिलिंग की समस्त ब्यवस्थाओं हेतु समिति का गठन करके नियमानुसार निविदा/कोटेशन के आधार पर प्राप्त न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर समस्त कार्य संपादित किये जाय।

एजेण्डा बिन्दु–10

10. **विश्व विद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा, अवकाश यात्रा भत्ता सुविधा, मकान किराया भत्ता/आवासीय सुविधा आदि की अनुमन्यता पर विचार विमर्श तथा अनुमोदन।**

अधिकारियों के आवास हेतु भवन किराये पर लिये जाने के प्रस्ताव पर बैठक में सहमति नहीं हुयी। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि विश्व विद्यालय द्वारा अपने अधिकारियों के लिये स्थायी निवास के निमार्ण होने तक अधिकारियों को उन्हें अनुमन्य मकान किराया भत्ता ही देय होगा तथा राज्य सरकार की प्रचलित नियमावली/आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता, मकान किराया आदि सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु–11

38

एजेण्डा बिन्दु–11

11. **विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के वेतन, आवास, पेंशन अंशदान, अवकाश वेतन अंशदान तथा अन्य सुविधाओं की अनुमन्यता पर चर्चा तथा अनुमोदन।**

इस बिन्दु पर चर्चा करते हुये निर्णय लिया गया कि कुलपति महोदय के वेतन, उपलब्धियां, सेवा की शर्त्तों के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव भेज कर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

एजेण्डा बिन्दु–12

12. **विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ विभिन्न सामग्रियों के क्रय हेतु क्रय–प्रक्रिया का निर्धारण।**

इस बिन्दु पर चर्चा करते हुये निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये वित्तीय नियमों, क्रय–नियमों तथा (Procurement Manual) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विश्व विद्यालय द्वारा सामग्रियां क्रय की जायेंगी। इसके अतिरिक्त विश्व विद्यालय के दैनिक कार्यों को सुगमतापूर्वक चलाने के लिये वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधायन हेतु भी नियमावली बनायी जाय।

एजेण्डा बिन्दु–13

13. **विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ क्रय किये गये वाहनों तथा अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता पर चर्चा तथा अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ नये वाहनो के क्रय प्रस्ताव पर बैठक में सहमति नहीं हुयी। नये वाहनों के क्रय तथा उनके रख–रखाव आदि पर अत्यधिक व्यय होने की वजह से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ आवश्यकतानुसार निविदा पर आधारित न्यूनतम दरो पर ही वाहन किराये पर लिये जांय।

अन्त में चर्चा हेतु अन्य कोई बिन्दु अवशेष न रहने के कारण अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(महाबीर सिंह बिष्ट)
वित्त नियंत्रक
(सदस्य)

(एन0एन0 थपलियाल)
अपर सचिव वित्त
(सदस्य)

(सुब्रत विश्वास)
सचिव तकनीकी शिक्षा
(सदस्य)

(प्रो0 बी0 के0 तिवारी)
कुलपति / अध्यक्ष